300

408

विलोपित/विलोपित

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर म0प्र0

विलोपित/विलोपित निगरानी कमांक............/17

Rs. 20/- RS115-II/17

लालता प्रसाद पटेल तनय गजाधर प्रसाद पटेल निवासी ग्राम देवरी तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 ----आवेदक

बिरुद्ध

1. राजकली पटेल पत्नी हिंछलाल पटेल
2. रमागोविन्द पटेल तनय स्व0 रामप्रसाद पटेल
3. बालगोविन्द पटेल तनय स्व0 रामप्रसाद पटेल

तीनों निवासीगण ग्राम देवरी तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

------अनावेदकगण

अधि0 श्री शिवप्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत 21-3-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता बिरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 दिनांक 08.06.16 जो राजस्व प्रकरण कमांक 44/अ-5/2015-16 मे राजकली बिरुद्ध रमाकली वगैरह मे पारित .

मान्यवर,

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. भूमि नम्बर 59/2/ख के संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय मे राजकली ने आवेदन पत्र पूर्व के तरमीम शुदा नक्शा सुधार के लिए प्रस्तुत किया था। जिसके संबंध मे विहित प्रक्रिया का अनुशरण किए बिना तथा सभी अभिलिखित भूमिस्वामियों को तलब किए बिना पूर्व के नक्शा तरमीम/बटांकन को निरस्त किया गया, सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया तथा सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. दिनांक 20.05.16 को आवेदन पत्र राजकली ने प्रस्तुत किया कि जो पूर्व मे नक्शा तरमीम है वह मौके के स्थिति व कब्जा के अनुसार नही है। तद्नुसार दिनांक 02.06.16 की पेशी नक्शा तरमीम प्रस्ताव मंगाने हेतु नियत की गयी, उसके बाद दिनांक 02.06.16 को अनावेदक की

(300)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक निग05115-II / 2017 जिला—रीवा

लालताप्रसाद पटेल / राजकली पटेल

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शिव प्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 44 / अ—5 / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	